UPJS010066332018

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८

राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि

दिनांक- २८. ११. २०२४

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में कारागार से जरिये VC उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र २१०बी नियत है, जिस पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण आदेश (प्रार्थना पत्र- १९९बी, २००बी एवं आपत्ति- २०६बी, २०७बी, २१०बी एवं प्रति आपत्ति- २१४बी)

प्रार्थना पत्र २१०बी अभियुक्तगण प्रहलाद एवं ऊधम सिंह की ओर से, अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्व में दिनांक- ०५. ०८. २०२४ को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र १९९बी के सन्दर्भ में **बतौर आपत्ति** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि अभियुक्त **प्रहलाद गुर्जर** के विरूद्ध दाण्डिक वाद सं०- २४५७/ २०१८ राज्य प्रति प्रहलाद गुर्जर, मु०अ०सं०- ४०१/ २०१८ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद जिला- झाँसी की पत्रावली वर्तमान में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी में विचाराधीन है, उक्त प्रकरण का कोई संबंध या सरोकार प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि, मु०अ०सं०- ३४४/ २०१८ धारा- १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७ भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी के मामले से नहीं है। इसी प्रकार अभियुक्त **ऊधम सिंह** के विरूद्ध दाण्डिक वाद सं०- ९८३/ २०१९ राज्य प्रति ऊधम गुर्जर, मु०अ०सं०- ५८/ २०१९ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- चिरगांव, जिला- झाँसी की पत्रावली जो वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज(जू०डि०) कक्ष सं०- ४, झाँसी में विचाराधीन है तथा दाण्डिक वाद सं०- १८८२/ २०१९ राज्य प्रति ऊधम सिंह गुर्जर, मु०अ०सं०- ७५०/ २०१८ धारा- १७४ए भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी की पत्रावली न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी में विचाराधीन है। उक्त दोनों प्रकरणों का भी कोई संबंध व सरोकार प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि की पत्रावली से नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से पत्रावलियों को संबंधित न्यायालयों से तलब कर समेकित किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र १९९बी दिनांकित- ०५. ०८. २०२४ विधि संगत न होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

उक्त आपत्ति आवेदन २१०बी के विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से **प्रतिआपत्ति २१४बी** दिनांकित- २४. १०. २०२४ प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त प्रहलाद गुर्जर की गिरफ्तारी प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि मु०अ०सं०- ३४४/ २०१८ धारा- १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७ भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी के मामले में दिनांक- १५. ०८. २०१८ को हुई थी, गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा ३१५ बोर मय दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए थे, जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा सं०- ४२ए/ २०२३ में किया गया है व बरामदगी की जी०डी० सं०- २४ प्रपत्र सं०- २२ए पत्रावली पर है, जिसे साबित कराया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में दाण्डिक वाद सं०- २४५७/ २०१८ राज्य प्रति प्रहलाद गुर्जर, मु०अ०सं०- ४०१/ २०१८ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद जिला- झाँसी की पत्रावली संबंधित न्यायालय से आहूत कर प्रश्नगत मामले के साथ विचारण किया जाना न्यायोचित है। अभियुक्त ऊधम सिंह की गिरफ्तारी प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि में वांछित रहते हुए की गई, जिसमें उसके विरूद्ध पचास हजार रूपये का इनाम भी था और गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से एक अदद तमतंचा ३१५ बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सत्र परीक्षण सं०- १०२/ २०१९ की पत्रावली में प्रपत्र सं०- २७बी/ १० ता १२ के रूप में संलग्न है, जबकि मूल प्रति उसके विरूद्ध लम्बित दाण्डिक वाद सं०- ९८३/ २०१९ राज्य प्रति ऊधम गुर्जर, मु०अ०सं०- ५८/ २०१९ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- चिरगांव, जिला- झाँसी की पत्रावली में संलग्न है। इसी प्रकार अभियुक्त भूपेन्द्र गुर्जर की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से एक अदद तमतंचा ३१५ बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है, उक्त गिरफ्तारी भी प्रश्नगत सत्रपरीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि में वांछित रहते हुए की गई, जिसमें उसके विरूद्ध पचास हजार रूपये का इनाम भी था और उक्त तथ्य का उल्लेख फर्द बरामदगी में अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावलियों को भी संबंधित न्यायालय से तलब कर प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि की पत्रावली के साथ विचारण किये जाने की याचना की गई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध विचाराधीन अन्य सत्र परीक्षण सं०- १०४/ २०१९ राज्य प्रति कमलेश यादव मु०अ०सं०- १२८/ २०१९ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद झाँसी की पत्रावली भी प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि से संबंधित है, क्योंकि उक्त मामले में अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल तमंचा ३१५ बोर की बरामदगी किये जाने संबंधी तथ्य अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली भी मुख्य सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि की पत्रावली में समेकित किये जाने की याचना की गई है।

अभियोजन की ओर से एक अन्य प्रार्थनापत्र- २००बी भी प्रस्तुत कर उसमें उल्लिखित आधारों पर न्यायालय

के समक्ष लम्बित सत्र परीक्षण संख्या- १०४/ २०१९ राज्य प्रति कमलेश यादव, मु०अ०सं०- १८८/ २०१९, धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद जिला झांसी की पत्रावली को प्रश्नगत सत्र परीक्षण संख्या- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि में समेकित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र- २००बी के विरूद्ध अभियुक्त कमलेश यादव की ओर से आपत्ति- २०६बी प्रस्तुत कर उसमें उल्लिखित आधारों पर सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या- १०४/ २०१९ राज्य प्रति कमलेश यादव, मु०अ०सं०- १८८/ २०१९, धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद जिला झांसी की पत्रावली को प्रश्नगत सत्र परीक्षण संख्या- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि की पत्रावली से सम्बन्धित न होने का कथन करते हुये अभियोजन प्रार्थनापत्र- २००बी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

इसी प्रकार अभियुक्त भूपेन्द्र गुर्जर की ओर से आपत्ति - २०७बी प्रस्तुत कर उसमें उल्लिखित आधारों पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी में लम्बित दाण्डिक वाद सं०- ११९५/ २०१९ राज्य प्रति भूपेन्द्र गुर्जर, मु०अ०सं०- २३४/ २०१९ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी की पत्रावली को प्रश्नगत सत्र परीक्षण संख्या- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित न होने का कथन कर उक्त पत्रावली के सन्दर्भ में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र- १९९बी दिनांकित- ०५. ०८. २०२४ निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त समस्त प्रार्थनापत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं संबंधित पत्रावलियों पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

चूंकि अभियुक्तगण प्रहलाद व ऊधम सिंह गुर्जर की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनापत्र- २१०बी दिनांकित- ०९. १०. २०२४ जिन पत्रावलियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, उनके सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र १९९बी अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनाँक- ०४. ०९. २०२४ को स्वीकृत किया जा चुका है,ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र- १९९बी का उल्लेख किया जाना समीचीन है, जिसमें उल्लिखित आधारों पर अभियोजन की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी में अभियुक्त प्रहलाद गुर्जर के विरुद्ध दाण्डिक वाद सं०- २४५७/ २०१८ राज्य बनाम प्रहलाद गुर्जर मु०अ०सं०- ४०१/ २०१८ एवं अभियुक्त भूपेन्द्र गुर्जर के विरुद्ध दाण्डिक वाद सं०- ११९५/ २०१९ राज्य बनाम भूपेन्द्र गुर्जर मु०अ०सं०- २३४/ २०१९ एवं अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा के विरुद्ध दाण्डिक वाद सं०- ५४३१/ २०२० राज्य बनाम सोनू गेड़ा मु०अ०सं०- ५८/ २०२०, अन्तर्गत धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम, थाना- नवाबाद, जिला- झांसी लम्बित होने तथा अभियुक्त ऊधम गुर्जर के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय सं०- ४, झांसी में दाण्डिक वाद सं०- ९८३/ २०१९ राज्य बनाम ऊधम गुर्जर मु०अ०सं०- ५८/ २०१९ धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम, थाना- चिरगांव, जिला- झांसी तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी में दाण्डिक वाद सं०- १८८२/ २०१९ राज्य बनाम ऊधम गुर्जर मु०अ०सं०- ७५०/ २०१८ धारा- १७४ए भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झांसी, लम्बित होने का कथन करते हुए उक्त समस्त पांचों पत्रावलियों को प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि मु०अ०सं०- ३४४/ २०१८ धारा- १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०४, ५०६, १२०बी भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झांसी से संबंधित होना बताते हुए उक्त पत्रावलियों को संबंधित न्यायालयों से आहूत कर एक साथ विचारण किये जाने हेतु समेकित किये जाने की याचना की गयी है।

इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र २००बी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में लम्बित सत्र परीक्षण सं०- १०४/ २०१९ राज्य बनाम कमलेश यादव मु०अ०सं०- १८८/ २०१९ अन्तर्गत धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद, जिला- झांसी की पत्रावली भी प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि मु०अ०सं०- ३४४/ २०१८ धारा- १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०४, ५०६, १२०बी भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झांसी से संबंधित होना बताते हुए एक साथ विचारण किये जाने हेतु समेकित किये जाने की याचना की गयी है।

यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र १९९बी दिनांकित- ०५. ०८. २०२४ न्यायालय द्वारा दिनांक- ०४. ०९. २०२४ को स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में संबंधित न्यायालयों से संबंधित पत्रावलियां आहूत की गयीं हैं, किन्तु उक्त पत्रावलियों पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र/ फर्द बरामदगी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पांचों पत्रावलियों में से मात्र अभियुक्त ऊधम गुर्जर के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी में लम्बित दाण्डिक वाद सं०- १८८२/ २०१९ राज्य बनाम ऊधम गुर्जर मु०अ०सं०- ७५०/ २०१८ धारा- १७४ए भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला- झांसी की पत्रावली ही प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि मु०अ०सं०- ३४४/ २०१८ धारा- १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ५०४, ५०६, १२०बी भा०द०सं० थाना- नवाबाद, जिला-

झांसी से संबंधित होना प्रकट होती है, अन्य चारों पत्रावलियां प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि से संबंधित होना नहीं पायी जाती हैं। मात्र प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि में वांछित होने के आधार पर संबंधित अभियुक्तगण (प्रहलाद गुर्जर, भूपेन्द्र गुर्जर, सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा एवं ऊधम गुर्जर) की गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से बरामद अवैध आयुध संबंधी मामले प्रश्नगत मामले से संबंधित होना नहीं माने जा सकते हैं, जब तक कि बरामद आयुध का प्रयोग मुख्य अभियोग की घटना में किये जाने का कथन न हो। जैसा कि उक्त प्रकरणों के फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकरण में बनी फर्द बरामदगी में ऐसा कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है कि बरामद आयुध का प्रयोग मु०अ०सं०- २४४/ २०१८ (सत्र परीक्षण संख्या- २२७/ २०१८) की घटना में प्रयुक्त किया गया हो। अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र १९९बी में ऐसा कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है, जिसके आधार पर उसमें उल्लिखित प्रकरणों (दाण्डिक वाद सं०- १८८२/ २०१९ राज्य बनाम ऊधम गुर्जर मु०अ०सं०- ७५०/ २०१८ धारा- १७४ए भा०द०सं० को छोड़कर) को प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि से संबंधित होना माना जा सके।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन प्रार्थना पत्र १९९बी को स्वीकृत किये जाने संबंधी पूर्व पारित आदेश दिनांकित- ०४. ०९. २०२४ को संशोधित करते हुए मात्र दाण्डिक वाद सं०- १८८२/ २०१९ राज्य बनाम ऊधम गुर्जर मु०अ०सं०- ७५०/ २०१८ धारा- १७४ए भा०द०सं०, थाना- नवाबाद, जिला- झांसी के सम्बन्ध में स्वीकार करते हुये उक्त पत्रावली को मुख्य सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि की पत्रावली के साथ **समेकित** किया जाता है एवं शेष आहूत चारों दाण्डिक वादों (दाण्डिक वाद संख्या- २४५७/ २०१८ राज्य प्रति प्रहलाद गुर्जर, दाण्डिक वाद संख्या- ११९५/ २०१९ राज्य प्रति भूपेन्द्र गुर्जर, दाण्डिक वाद संख्या- ५४३१/ २०२० राज्य प्रति सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेंड़ा, एवं दाण्डिक वाद संख्या- ९८३/ २०१९ राज्य प्रति ऊधम गुर्जर) की पत्रावलियों को संबंधित न्यायालयों में विधि अनुसार विचारण/ निस्तारण हेतु वापस की जायें। तदनुसार प्रार्थनापत्र- १९९बी एवं आपत्ति- २०७बी, २१०बी व प्रति आपत्ति- २१४बी निस्तारित की जाती है।

जहां तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र- २००बी** में उल्लिखित सत्र परीक्षण सं०- १०४/ २०१९ राज्य बनाम कमलेश यादव मु०अ०सं०- १८८/ २०१९ अन्तर्गत धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम थाना- नवाबाद, जिला- झांसी को समेकित किये जाने का प्रश्न है, तो उक्त पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त कमलेश यादव के कब्जे से बरामद अवैध तमंचा ३१५ बोर मय एक खोखा कारतूस का प्रयोग प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ राज्य बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि में घटित कथित घटना में किये जाने का तथ्य उल्लिखित है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण मुख्य अभियोग से संबंधित होना दर्शित होता है। आदेश पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि सत्र परीक्षण सं०- १०४/ २०१९ में दिनांक- ०३. ०१. २०२० को अभियुक्त कमलेश यादव के विरुद्ध आरोप विरचित होने के उपरांत पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत हुई एवं दिनांक- २०. ०२. २०२१ को संबंधित लीडिंग सत्र परीक्षण सं०- १०२/ २०१९ के साथ प्रस्तुत होने का पृष्ठांकन किया गया है एवं पश्चातवर्ती क्रम में प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांकित- ०७. ०५. २०२२ के माध्यम से सत्र परीक्षण सं०- १०२/ २०१९ की पत्रावली अन्य पत्रावलियों के साथ प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ के साथ समेकित की गयी, जिसके आधार पर सत्र परीक्षण संख्या- १०४/ २०१९ आदेश दिनांकित- ०१. ०८. २०२२ से प्रश्नगत सत्र परीक्षण सं०- २२७/ २०१८ के साथ विचारित होकर साक्ष्य संलकित की जा रही है।

अतः समस्त उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर सत्र वाद संख्या- १०४/ २०१९ राज्य प्रति कमलेश यादव, मु०अ०सं०- १८८/ २०१९, अन्तर्गत धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम, थाना- नवाबाद जिला झांसी की पत्रावली मुख्य सत्र परीक्षण संख्या- २२७/ २०१८ राज्य प्रति राजेन्द्र सिंह आदि से सम्बन्धित होने के कारण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थनापत्र - २००बी दिनांकित- ०५. ०८. २०२४ स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण को मुख्य सत्र परीक्षण में समेकित किया जाता है।** तदनुसार आपत्ति- २०६बी **निस्तारित** की जाती है।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य **दिनांक- ०५. १२. २०२४** को पेश हो।

आदेश की एक- एक प्रति सम्बन्धित समेकित पत्रावलियों में भी रखा जाए।

दिनांक- २८. ११. २०२४

(पी० एन० मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।